

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई 2013 – आषाढ़ 14, शक 1935

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर – 492001

रायपुर, दिनांक: 05 जुलाई 2013

शुद्धिपत्र

क्र. 51/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2013 –छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता, 2011 के हिन्दी रूपांतरण को अधिसूचना क्रमांक 40/सीएसईआरसी/2012 दिनांक 31 अगस्त 2012 द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

उक्त संहिता की कण्डिका 1.2(3) में उल्लेखित है:—

“1.2(3) ये विनियम, छत्तीसगढ़ राजपत्र में अपने प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होंगे।”

उपरोक्त कंडिका को मूलतः निम्नानुसार परिमार्जित किया जाता है

“1.2(3) यह संहिता छत्तीसगढ़ राजपत्र में मूल अंग्रेजी पाठ के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी।”

आयोग के आदेश से,
पी.एन. सिंह, सचिव